



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 1482 / 06-269-2014 / 2015

दिनांक: 17 जनवरी, 2015

सेवा में,

प्रबंधक,  
विन्देश्वरी महाविद्यालय,  
मलप, हरसेनपुर,  
बलिया।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- सम्ब0 836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तर्गत/निहित किए जाने के फलस्वरूप शासन के पत्र संख्या-1885/सत्तर-6-2014-3 (82)/2014 दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.01.2015 में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुपालन के क्रम में सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 16.01.2015 की संस्तुति के अनुसार एवं कार्यपरिषद के उपर्युक्त निर्णय के अधीन विन्देश्वरी महाविद्यालय, मलप, हरसेनपुर, बलिया को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कला संकाय (कला संवर्ग) में स्नातकोत्तर स्तर पर गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों की अस्थायी सम्बद्धता दिनांक 01.07.2014 से दो वर्ष हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. महाविद्यालय/संस्थान को उल्लिखित विषयों/पाठ्यक्रम की सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि महाविद्यालय/संस्थान के प्रबन्धक द्वारा वार्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रों का 180 दिन/सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत सांविधिक नियामक संस्था द्वारा निर्धारित अध्ययन-अध्यापन अवधि के अनुसार अध्यापन कार्य पूर्ण करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही सम्बन्धित विषयों के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी।
2. महाविद्यालय एक माह के अन्दर उपर्युक्त विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन प्राप्त कर उनसे अध्यापन कार्य करायेगा एवं सीधे बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान करने तथा सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
4. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
6. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/आदेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
9. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
10. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-

- 37(6) :- कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेंगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।
- 37(7) :- कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।
- 37(8) :- कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधन से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

11. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का पचास रुपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता आदेश में प्रदर्शित कमियों को एक माह में पूर्ण न करने एवं भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

  
R. J. J.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

- 1- मा० कुलपति जी-सूचनार्थ।
- 2- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 4- उपकुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत करें।
- 5- परीक्षा नियंत्रक।
- 6- सम्बंधित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव